

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1701/2026

Sunita Devi W/o Sh. Rohitash Rathi,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishvas Saini, Adv. Mr. M S Raghav, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. M S Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

29/04/2026

अयाची संख्या-1 की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गयी।

अयाची संख्या-2 को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावे।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्ता का निवेदन है कि अभियुक्ता वादग्रस्त भूमि की पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से सह-प्रतिफल सद्भाविक क्रेता होकर मौके पर काबिज है। परिवादी का इस संपत्ति में कोई विधिक अधिकार नहीं है, विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है जिसे अनावश्यक रूप से आपराधिक रंग दिया जा रहा है।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि परिवादी सुमेर सिंह द्वारा यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर उनका लंबे समय से कब्जा व निवास है, लेकिन किन्हीं कारणों से राजस्व अभिलेख में यह भूमि ओम बाई के पति बने सिंह के नाम प्रविष्टि हो गई। बने सिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि ओम बाई के खाते में आई तथा उसके द्वारा यह भूमि अनाधिकृत रूप से सुनिता देवी को पंजीकृत विक्रय

विलेख दिनांक 05.01.2026 के माध्यम से विक्रय कर दी, जिसमें रोहिताश व रामबीर द्वारा गवाही दी गई।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्ता को आदेशित किया जाता है कि **आज से 15 दिन** में अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करे तथा इस शर्त के साथ अभियुक्ता को आगामी आदेश तक पुलिस थाना **प्रागपुरा, जिला कोटपूतली-बहरोड** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **48/2026** में गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

पत्रावली चार **सप्ताह बाद** न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J